सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 27/08

रामजीलाल पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1.करणीसिंह पुत्र श्री मनी राम जाति कुम्हार निवासी चक 5 ई छोटी, हनुमान कालौनी, श्रीगंगानगर।
2.ग्राम पंचायत लालगढ जाटान, पंचायत समिति सादुलशहर जरिये सरपंच

अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 01–12–99 विकय विलेख पट्टा सं0 9 जो संकल्प सं03 दिनांक 2–12–99 को आधार बना कर अप्रार्थी सं0 1 को भूखण्ड का आवंटन किया गया, को निरस्त करने के संबंध में।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थित :
1. श्री चरणदास कम्बोज़, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री श्यामसुन्दर, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 एक

आदेश दिनांक : 21–06–16

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत लालगढ जाटान द्वारा अप्रार्थी सं0 1 करणीसिंह को जारी पट्टा सं0 9 को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत की गई है।

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तत्कालिन सरपंच चुन्नीराम अप्रार्थी सं0 1 का नजदीकी रिश्तेदार मामा लगता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर पूर्व में ही पट्टा की रसीद सं0 170 दिनांक 15–3–91 को जारी कर, अप्रार्थी सं0 1 को आवंटन किया गया है तथा इसकी बाबत पॉच हजार रूपया की राशि राजस्थान पंचायत संशोधन नियम 1954 के नियम 265 के अनुसार जमा करवाई गई थी। संकल्प सं0 4 दिनांक 1–4–91 के अनुसार निगरानीकर्ता के पक्ष में, अभिलेख ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध था, का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अवलोकन किये तथा बिना कब्जे संबंधी जॉच किए अपने चहेते करणीसिह को अनुचित लाभ पहुॅचाने के लिए निगरानीकृत भूखण्ड का पुनः पट्टा जारी कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। निगरानीकृत भूखण्ड पूर्व में ही निगरानीकर्ता को आवंटित था परन्तु जानबूझकर पट्टा के नक्शा में एक तरफ प्रार्थी के पिता का नाम व दूसरी तरफ प्रार्थी के नाम का अहाता दिखाया गया है। पूर्व सरपंच चुन्नी राम द्वारा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

दिनांक 26–11–95 को यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि विवादित जगह 96 गुणा 80 फुट पर रामजीलाल निगरानीकर्ता का पुराना कब्जा है और कई वर्षो से निगरानीकर्ता उक्त जगह पर रिहायश करता आ रहा है तथा मौके पर दुकानें बना रखी हैं। दिनांक 1–12–99 को पूर्व सरपंच द्वारा बेनामी कार्यवाही करते हुए बिना मौका का जॉच रिपोर्ट लिए 1550–00 रूप्ये की राशि जमा करवा कर विवादित आदेश पारित किया है। अप्रार्थी सं0 1 श्री गंगानगर का निवासी है। अप्रार्थी सं0 1 को अवैध लाभ पहुॅचाने हेतु अप्रार्थी सं0 1 के नाम दो भूखण्ड विक्रय दिखा कर पट्टा जारी कर अवैध कार्य किया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत भूखण्ड का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर पूर्व में ही पट्टा की रसीद सं0 170 दिनांक 15–3–91 को जारी किया गया तथा इसकी बाबत पॉच हजार रूपया की राशि राजस्थान पंचायत संशोधन नियम 1954 के नियम 265 के अनुसार जमा करवाई गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अभिलेख का अवलोकन किये तथा बिना कब्जे संबंधी जॉच किए अप्रार्थी सं0 1 को अनुचित लाभ पहुॅचाने के लिए निगरानीकृत भूखण्ड का पुनः पट्टा जारी कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। निगरानीकृत भूखण्ड पूर्व में ही निगरानीकर्ता को आवंटित था परन्तु जानबूझकर पट्टा के नक्शा में एम तरफ प्रार्थी के पिता का नाम व दूसरी तरफ प्रार्थी के नाम का अहाता दिखाया गया है। पूर्व सरपंच चुन्नी राम द्वारा दिनांक 26–11–95 को यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि विवादित जगह 96 गुणा 80 फुट पर निगरानीकर्ता का पुराना कब्जा है और कई वर्षो से निगरानीकर्ता उक्त जगह पर रिहायश करता आ रहा है तथा मौके पर दुकानें बना रखी हैं। दिनांक 1–12–99 को पूर्व सरपंच द्वारा बेनामी कार्यवाही करते हुए बिना मौका की जॉच रिपोर्ट लिए 1550–00 रूप्ये की राशि जमा करवा कर विवादित आदेश पारित किया है। अप्रार्थी सं0 1 श्री गंगानगर का निवासी है। अप्रार्थी सं0 1 को अवैध लाभ पहुॅचाने हेतु अप्रार्थी सं0 1 के नाम दो भूखण्ड विक्रय दिखा कर पट्टा जारी कर अवैध कार्य किया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत भूखण्ड का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 1 के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि निगरानीकृत भूखण्ड अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित कर निगरानीकृत पट्टा जारी किया है। पूर्व में अप्रार्थी सं0 1 ने निगरानीकर्ता व अन्य पर आपराधिक अभियोग दर्ज कराया था, जिसकी जॉच पुलिस थाना लालगढ जाटान द्वारा की गई थी। बाद जॉच सरपचं नत्थूराम द्वारा जारी किया गया पट्टा फर्जी एवं झूठा पाया गया जो षडयन्त्रपूर्वक परिवादी की दुकानें हड़पने और परिवादी को धोखा देने के प्रयोजन से बनाया गया है। जॉच पुलिस से निगरानीकर्ता रामजीलाल के विरूद्व धारा 380,448,420,467,468,471 एवं धारा 120बी आई पी सी एवं पूर्व सरपंच नत्थूराम के खिलाफ धारा 420,467,468 एवं 120 आई पी सी का अपराध प्रथमदृष्टया पाया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी तथ्यों से परे एवं रंजिशवश की गई है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

Scanned by CamScanner

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

A2
3

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में दिनांक 15–3–91 को रसीद सं0 170 पॉच हजार रूपये की जारी की हुई है जो राजस्थान पंचायत संशोधन नियम 1954 के नियम 265 के अनुसार जमा करवाई गई थी। निगरानीकर्ता रामजी लाल के नाम से दिनांक 1–10–90 को राजस्थान पंचायत संशोधन अधिनियम 1954 के नियम 265 के अन्तर्गत पट्टा जारी किया गया है जो संकल्प सं0 4 दिनांक 1–4–91 के अनुसारण में निगरानीकर्ता के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है जबकि अभिलेख ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध था, का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अवलोकन किये तथा बिना कब्जे संबंधी जॉच किए अप्रार्थी सं0 1 करणीसिह को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए निगरानीकृत भूखण्ड का पुनः पट्टा जारी कर दिया गया। संकल्प सं0 4 दिनांक 1–4–91 द्वारा जारी निगरानीकर्ता का पट्टा किसी सक्षम न्यायानय द्वारा खारिज नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 1–4–91 के प्रस्ताव से जारी पट्टे पर पुनः अप्रार्थी सं0 1 को दिनांक 1–12–99 को निगरानीकृत पट्टा जारी किया है, जिसका अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं था क्योंकि निगरानीकृत भूखण्ड पूर्व में ही निगरानीकर्ता को आवंटित था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानबूझकर पट्टा के नक्शा में एक तरफ प्रार्थी के पिता का नाम व दूसरी तरफ प्रार्थी के नाम का अहाता दिखाया गया है। दिनांक 26–11–95 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि विवादित जगह 96 गुणा 80 फुट पर रामजीलाल निगरानीकर्ता का पुराना कब्जा है और कई वर्षो से निगरानीकर्ता उक्त जगह पर रिहायश करता आ रहा है तथा मौके पर दुकानें बना रखी हैं। दिनांक 1–12–99 को पूर्व सरपंच द्वारा बेनामी कार्यवाही करते हुए बिना मौका की जॉच रिपोर्ट लिए 1550–00 रूपये की राशि जमा करवा कर निगरानीकृत पट्टा अप्रार्थी सं0 1 को जारी करने में विधिक भूल की है। अतः मेरे विन्रम मत में, निगरानीकृत पट्टा क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

फलस्वरूप, निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित किया गया भूखण्ड पट्टा सं0 9 दिनांक 1–12–99 खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 22–06–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करणसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान) 22/6/16

Scanned by CamScanner